7. Pre-matric scholarship to the children of those engaged in unclean occupations.
8. Implementation of PCR Act-1955 and the SCs & STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

(II) Welfare of Backward classes.

1. Pre-matric scholarship for OBCs
2. Hostels for OBC Boys & Girls.

(III) Welfare of Schedule Tribes.

1. Girls Hostels for STs
2. Boys Hostels for STs
3. Ashram schools in Tribal sub Plan.
4. Research & Training for STs.

(IV) Welfare of Social Defence.

1. Prevention & control of Juvenile Social Maladjustment.

(V) Welfare of Disabled

1. Employment of the Handicapped.

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देना

731. **श्री खान गुफराम जाहिदी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्डों की संपत्तियों को निम्न दर पर व्यक्तियों को पट्टे पर दिये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

National Policy for older persons

732. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be refer to answer to unstarred Question 90 given in the Rajya Sabha on the 30th November, 1998 and state:

(a) whether a national policy for older persons has since been finalised, together with specific programmes if any, to provide relief to senior citizens;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if answer to part (a) above be in the negative, by when a final decision is expected thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) A National policy for older Persons has already been announced which seeks to promote the well being of older persons by attending to their financial security, health care, shelter, welfare and other development needs and subject to availability of resources specific programme interventions shall be formulated and implemented by the Government.

इस्पात उद्योग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

733. **लाला लाजपत राय:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक भारतीय इस्पात उद्योग की वस्तविक रूप से वित्तीय निष्पादन और उत्पादन स्थिति क्या रही;

(ख) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने इस्पात उद्योग को किस हद तक सुदृढ़ बनाया है;

(ग) प्रतिवर्ष भारतीय इस्पात उद्योग से कुल कितना राजस्व अर्जित होता है; और

(घ) देश में इस्पात की मांग और उत्पादन के बीच के अन्तर को किस हद तक कम किया जा रहा है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादको का वास्तविक वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

कम्पनी का नाम	लाभ (+) हानि (-)

सरकारी क्षेत्र

1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (+)	149
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (-)	419*

निजी क्षेत्र

1.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (+)	322.08
2.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड (+)	24.70
3.	मैसर्स लायड स्टील इंडस्ट्रीज (-)	58.81
4.	मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (+)	55.17
5.	मैसर्स जिन्दल आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (+)	31.24
6.	मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (+)	73.31

*सरकार द्वारा 27.5.98 को दी गई वित्तीय राहतों से पूर्व 1997-98 के दौरान हुआ परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(मात्रा दस लाख टन)

सरकारी क्षेत्र	=	8.538
निजी क्षेत्र	=	14.834
योग	=	23.372

देश में इस्पात उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है:—

(1) उत्पादन संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियां शुरू करना।

(2) उत्पाद-मिश्र में सुधार करना।

(3) प्रौद्योगिक आर्थिक प्राथलों में सुधार करना।

(4) मांग उन्मुखी उत्पादन।

(5) उत्पादों को गुणवत्ता में सुधार करना।

(6) उद्यमशील और ग्राहकोन्मुखी विपणन के जरिए बिक्री बढ़ना आदि।

(ग) लोहा और इस्पात उद्योग से पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित कुल राजस्व निम्ननुसार था:—

(करोड़ रुपए)

	1996-97	1997-98	
उत्पादन शुल्क	3894.80	3894.34	(संशोधित अनुमान)
सीमा शुल्क	1759.90	1649.14	(संशोधित अनुमान)
कुल राजस्व	5654.70	5543.48	

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग और उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(दस लाख टन)

वर्ष	मांग	उत्पादन
1996-97	22.12	22.72
1997-98	22.63	23.37

इस समय इस्पात की अधिकांश मदों की कोई कमी नहीं है। नीति के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इस्पात की सभी मदों का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है।

Row Relating to Rail tracks

734. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Steel Authority of India Limited and the Indian Railways are now blaming each other for porblems in the rail tracks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to rectify the track and ensure safety of rail passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Steel Authority of India Limited (SAIL) has not joined issues with Indian Railways for problems in their rail tracks.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.